म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/2020-21/404 **भोपाल, दिनांक 24/06/2020**

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय..................(समस्त)

विषय :- **अंतर्राज्जीय सीमा जांच चौकियों के समापन के संबंध में।**

--00--

म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 23 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपज मूल मण्डी या मण्डी क्षेत्र के बाहर से लाई जानेवाली या बाहर ले जाने वाली कृषि उपज पर देय मण्डी फीस, निराश्रित सहायता राशि के भुगतान संबंधी निरीक्षण के लिए निरीक्षण चौकियों के साथ-साथ पथ अवरोध (बैरियर) स्थापित किए जाने का प्रावधान मण्डी उपविधि 2000 की कंडिका 23 में किया गया है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2020 को पारित किए गए अध्यादेशों में मूल मण्डी, उपमण्डी, डायरेक्ट क्रय केन्द्र तथा प्रायवेट मण्डी यार्ड, प्रायवेट उपमण्डी यार्ड, वेयर हाऊस, सायलो, कोल्ड स्टोरेज आदि अन्य संरचना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा डीम्ड मण्डी घोषित किया गया है के बाहर कृषि उपज के व्यापार को मण्डी शुल्क के साथ- साथ निरीक्षण एवं नियमन से मुक्त रखा गया है तथा प्रदेश के बाहर जाने वाली और प्रदेश में बाहर से आने वाली कृषि उपज को भी नियमन व्यवस्था से मुक्त किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश पारित किये जाने के पश्चात् प्रदेश में राज्य की सीमा पर विभिन्न जिले में स्थित समस्त निरीक्षण चौकियों के साथ-साथ पथ अवरोध (बैरियर) संचालन का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अत: उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत म.प्र.सीमा में स्थित विभिन्न जांच चौकियां (अंतर्राज्जीय सीमा जांच चौकियां) को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है। साथ ही अंतर्राज्जीय जांच चौकियों में आंचलिक अधिकारियों द्वारा पदस्थ/संलग्न किए गए कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से संबंधित मण्डी समितियों को वापस की जाती है।

24.6.20
(संदीप यादव)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/2020-21/404 **भोपाल, दिनांक 24 /06/2020**

प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल
02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
03. चीफ प्रोग्रामर, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24.6.20

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल